

***टिप्पणी/NOTES**

- कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 ख ख के अनुसार झूठा कर कटौती लेखा संख्या (टैन) दर्शाने पर 10000/- रुपये की शास्ति की व्यवस्था है।
Please note that quoting false TAN may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272BB of I.T. Act, 1961.
- भुगतान के प्रत्येक प्रकार (निदर्शन) के लिए अलग चालान का प्रयोग करें।
Use a Separate Challan for each Nature (Type) of Payment. The relevant Codes are:
सुसंगत कोड निम्नलिखित है:

धारा/Section	भुगतान का प्रकार / Nature of Payment	कोड/Code
192	संघ सरकार के कर्मचारी को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को संदाय / Payment to Govt. Employees other than Union Government Employees	9 2 A
192	सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों को संदाय / Payment of Employees other than Govt. Employees	9 2 B
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज / Interest on securities	1 9 3
194	लाभाश / Dividend	1 9 4
194A	प्रतिभूतियों से भिन्न ब्याज / Interest other than interest on securities	9 4 A
194B	लाटरी व वर्ग पहेली में हुई जीत / Winnings from lotteries and crossword puzzles	9 4 B
194BB	घुड़दौड़ में हुई जीत / Winnings from horse race	4 B B
194C	ठेकेदारों व उपठेकेदारों का भुगतान / Payment of contractors and sub-contractors	9 4 C
194D	बीमा कमीशन / Insurance Commission	9 4 D
194E	अनिवासी खेल संगमों या संस्थाओं को संदाय / Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	9 4 E
194EE	राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत निक्षेपों से संबंधित संदाय / Payments in respect of Deposits under National Savings Schemes	4 E E
194F	म्यूच्युअल फंड या यू.टी.आई. द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के कारण / Payments on account of Re-purchase of Units by Mutual Funds or UTI	9 4 F
194G	लाटरी की सेल पर कमीशन, इनाम इत्यादि / Commission, prize etc. on sale of Lottery tickets	9 4 G
194H	कमीशन या ब्रोकरेज / Commission or Brokerage	9 4 H
194 I	किराया / Rent	9 4 I
194J	वृत्तिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस / Fees For Professional Or Technical Services	9 4 J
194K	विनिर्दिष्ट म्यूच्युअल फंड यूनिटों या यू.टी.आई. की यूनिटों के संबंध में निवासी निर्धारित को संदेय आय / Income payable to a Resident Assessee in respect of Units of a specified Mutual Fund or of the Units of the UTI	9 4 K
194LA	कतिपय अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय / Payment of Compensation on Acquisition of Certain Immovable Property	9 4 L
195	अनिवासी को संदाय अन्य रकम / Other sums payable to a non-resident	1 9 5
196A	अनिवासी की यूनिटों के संबंध में आय / Income in respect of units of Non-Residents	9 6 A
196B	अपतट निधि के यूनिटों के संबंध में किया गया संदाय / Payments in respect of Units to an Offshore Fund	9 6 B
196C	किसी अनिवासी का संदेय विदेशी करेन्सी, बांड्स या भारतीय कम्पनी के शेयरों से आय / Income from foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	9 6 C
196D	प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय / Income of foreign institutional investors from securities	9 6 D
206C	मानव उपभोग के लिए लिकर तथा तेंदू पत्तों से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Liquor for Human Consumption and Tendu Leaves	6 C A
206C	वन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त काष्ठ से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Timber obtained under Forest lease	6 C B
206C	वन पट्टे के अलावा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त किए गए काष्ठ से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Timber obtained by any Mode other than a Forest Lease	6 C C
206C	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ता नहीं है) से स्रोत पर संग्रहण / Collection at source from any other Forest Produce (not being Tendu Leaves)	6 C D
206C	स्कrap से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Scrap	6 C E
206C	पार्किंग लाटस, टोल प्लाजा अथवा खान अथवा खनिज से संबंधित ठेकों अथवा लाईसेंस अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from contractors or licensee or lease relating to Parking lots, toll plaza, or mine or quarry	6 C F

कृपया चालान के ऊपर सुसंगत बाक्स में सही का निशान लगायें। कम्पनी कटौतीदाता तथा गैर-कम्पनी कटौतीदाता से स्रोत पर काटे गए कर को जमा करने के लिये अलग चालान का प्रयोग किया जाना है। PLEASE TICK THE RELEVANT BOX AT THE TOP OF THE CHALLAN. SEPARATE CHALLANS SHOULD BE USED FOR DEPOSITING TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM COMPANY DEDUCTEES AND FROM NON-COMPANY DEDUCTEES.

बैंक काउंटर छोड़ने से पहले जाँच करें कि आपके प्रतिपण पर बैंक शाखा द्वारा जारी पावती में बैंक की शाखा का नाम, बैंक का 7 अंक बी एस आर कोड, चालान जमा करने की तारीख (दिन, माह, वर्ष) तथा चालान क्रम संख्या की मोहर लगी है। कृपया इस प्रतिपण को अपने पास रखें तथा अपनी आय की विवरणी में उक्त पावती के ब्योरे का उल्लेख करें।

CHECK BEFORE LEAVING THE BANK COUNTER THAT THE ACKNOWLEDGEMENT STAMPED ON YOUR COUNTER FOIL BY THE BANK BRANCH BEARS THE NAME OF BANK BRANCH, THE 7 DIGIT BSR CODE OF THE BRANCH, THE DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YY) AND THE CHALLAN SERIAL NO. PLEASE RETAIN THIS COUNTERFOIL AND MENTION THE ABOVE ACKNOWLEDGEMENT DETAILS IN YOUR RETURN OF INCOME.